न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 58/2011 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— अमीन खॉ पुत्र मोहम्मद खॉ जाति मुसलमान निवासी बड़ोपल पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

————अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान राज्य।

————रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित :— श्री संजय बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित :— श्री कमलजीत सिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 12.03.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 12/15.09.2018 जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 05/80 डीएम श्रीगंगानगर, ओ.एस. नं. 132/99 डीएम हनुमानगढ निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 05/80 डीएम श्रीगंगानगर, ओ.एस. नं. 132/99 डीएम हनुमानगढ बना है, जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 13432 दर्ज है तथा दिनांक 31.12.2007 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष अपीलांट ने दिनांक 06.11.2007 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.05.08 में अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 387/2007 अन्तर्गत धारा 450, 376 भादंस में दर्ज होकर विचाराधीन होने के कारण नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/15.9.08 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं. 05/80 डीएम श्रीगंगानगर, ओ.एस. नं. 132/99 डीएम हनुमानगढ निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे। राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री कमलजीतसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 05.05.08 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा सं0 387/07 अन्तर्गत धारा 450, 376 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ है। माननीय न्यायालय ने उक्त मुकदमा में अपीलांट को राजीनामा के आधार पर दोष मुक्त किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आपराधिक पृष्ठभूमि का है। ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से लोक शांति व कानून व्यवस्था को खतरा रहता है । प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा व्यापक लोक शांति और कानून व्यवस्था के मध्यनजर जिला जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ के मध्यनजर, गृह विभाग के परिपत्रों एवं शस्त्र अधिनियम 1959 में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

5. वरवक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट को आवाज लगवाई गई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित रहे। प्रकरण में मैरिट पर सुनवाई की गई। राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक की बहस एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का भी ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में मुख्य कथन है कि अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित मुकदमा सं. 387/07 में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.10 में राजीनामा में दोष मुक्त कर दिया है। जबकि राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा सं0 387/07 अन्तर्गत धारा 450, 376 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ है। माननीय न्यायालय ने उक्त मुकदमा में अपीलांट को राजीनामा के आधार पर दोष मुक्त किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आपराधिक पृष्ठभूमि का है। न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट के विरुध्द बलात्कार जैसे गम्भीर प्रकृति की फौजदारी धाराओं में मामला दर्ज हुआ है । प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं की है, जो कि अपीलांट के आपराधिक पृष्ठभूमि होने की पुष्टि करती है। हम जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि ऐसे आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र रहना समाज हित में उचित नहीं है एवं लोक शांति व कानून व्यवस्था को खतरा

समागोय आयुक्त
बीकानेर

रहता है। अपीलांट ने हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिन पर गौर किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के अन्तर्गत व्यापक लोकशान्ति की सुरक्षा के लिए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/15.09.2008 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

6. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 12.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर